न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्याः- 38/2020
जीसीएमएस नम्बर :-2020/00073

श्रीमती सन्तोष पुत्री स्व० श्री जमना लाल कुमावत, पत्नी श्री रूप लाल कुमावत, आयु वयस्क, निवासी- औझाघर, हाल 100 फीट रोड, कृष्णा प्रोपर्टी के पीछे, गली नम्बर 03, प्लॉट नम्बर 90, भीलवाडा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

--वादिया

-: बनाम :-

1. श्रीमती सुखी पुत्री स्व० श्री मूला कुमावत, पत्नी श्री रामलाल कुमावत, जाति कुमावत, आयु वयस्क, निवासी कारोईखेडा, तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
2. श्रीमती रामू पत्नी स्व० श्री मांगू कुमावत, आयु वयस्क, निवासी- लापिया खेडा, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. श्रीमती शंकरी पत्नी स्व० श्री नारायण कुमावत, आयु वयस्क, निवासी-लापिया खेड़ा, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. प्रकाश पुत्र स्व० श्री नारायण कुमावत, आयु नाबालिग, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शंकरी पत्नी स्व० श्री नारायण कुमावत, आयु वयस्क, निवासी-लापिया खेड़ा, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
5. माया पुत्री स्व० श्री नारायण कुमावत, आयु नाबालिग, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शंकरी पत्नी स्व० श्री नारायण कुमावत, आयु वयस्क, निवासी-लापिया खेड़ा, ग्राम पचायत रामपुरिया, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. नाधू पुत्र श्री रामा कुमावत आयु वयस्क निवासी लापिया खेड़ा ग्राम पंचायत रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाडा, शाखा सुवाणा, तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) जरिये शाखा प्रबंधक
8. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा कारोई कलॉ, तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)
10. उप-पजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाडा (राज०)

---प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

19/2/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपस्थित–

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी अभिभाषक वादिया
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

–: निर्णय :– दिनांक 19/2/26

वादिया ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 26.10.2020 को इस न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत् घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 02.11.2020 को वाद संख्या 38/2020 बउनवानी श्रीमती सन्तोष बनाम श्रीमती सुखी वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वादिया ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 1 में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के परिवार का सजरा खानदान दर्ज करते हुए इस आशय का कथन किया कि–हजारी जी के 4 लड़के मांगू, जमना, मूला, मोहन हुए, जिसमे मोहन जो कि अविवाहित (कुंवारा) लाऔलाद फोत हुए है व जमना जी के एक पुत्री संतोष है, जो वादीया है व मूला जी के एक पुत्री सुखी है, जो प्रतिवादी संख्या 01 है व मांगू जी के एक पुत्र नारायण व पत्नी रामू है, रामू प्रतिवादी संख्या 02 है व नारायण का देहान्त हो चुका है, जिसके पत्नी शंकरी व पुत्र प्रकाश व पुत्री माया प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 है। इस प्रकार वादीया एंव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 एक ही परिवार के होकर हजारी पुत्र श्री मेघा जी कुमावत के वारीसान है व वादीया जो कि जमना जी की पुत्री व हजारी जी की पोत्री होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है।

सरहद औझागर, पटवार हल्का रामपुरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की शामलाती पुश्तैनी आराजियात स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

<u>भाग- अ खाता संख्या 273 दौ सौ तिहेतर</u>

आराजी नम्बर 796/1 सात सौ छियानवे / एक रकबा 02 दो बीघा, आराजी नम्बर 800/1 आठ सौ / एक रकबा 10 दस बिस्वा, आराजी नम्बर 801 आठ सौ एक रकबा 01 एक बीघा 04 चार बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 आठ सौ दो/एक रकबा 14 चौदह बिस्वा, आराजी नम्बर 803 आठ सौ तीन रकबा 03 तीन बीघा 13 तैरह बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 एक हजार छिहेतर रकबा 01 एक बीघा 12 बारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 एक हजार उनियासी रकबा 01 एक बीघा 11 ग्यारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 एक हजार अस्सी रकबा 04 चार बिस्वा कुल किता 08 आठ रकबा 11 ग्यारह बीघा 08 बिस्वा

उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच के नाम पर दर्ज रेकार्ड है।

19/2/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

भाग- ब खाता संख्या 88 अठ्यासी

आराजी नम्बर 1077 एक हजार सतहतर रकबा 03 तीन बिस्वा कुल किता 01 एक रकबा 03 तीन बिस्वा

उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 06 छह के नाम पर दर्ज रेकार्ड है।

वादपत्र की चरण संख्या 02 दो में वर्णित आराजियात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 पांच की पैतृक आराजियात है, जो कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2033 दो हजार तैतीस में वादीया के दादा व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के दादा, श्वसुर, दादीया, श्वसुर व पड़दादा हजारी पुत्र श्री मेघा कुमावत व अन्य के नाम पर दर्ज है। उक्त आराजियात जो कि अन्य खातेदारान से विभाजन के जरिये प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 पांच के नाम पर दर्ज हुई है।

वादपत्र की चरण संख्या 02 दो के भाग-अ में वर्णित आराजीयात मे वादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित पारीवारिक सजरे अनुसार वादीया का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 पांच का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा व भाग-ब मे वर्णित आराजियात मे वादीया का 1/6 एक/छह हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/6 एक/छह हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 पांच का 1/6 एक/छह हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 06 छह का 1/2 आधा हक हिस्सा निहित है व इसी हक हिस्से अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

वादग्रस्त आराजियात वादीया की पैतृक होने से वादीया का जन्म से हक अधिकार निहित है व वादीया अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। हाल ही मे दिनांक 20 बीस जुलाई 2020 दो हजार बीस को प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच वादग्रस्त आराजियात पर आये व वादीया को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया, इस पर वादीया ने प्रतिवादीगण को कहा कि उक्त आराजियात वादीया की पैतृक होकर वादीया का जन्म से हक हिस्सा निहित है, इस पर प्रतिवादीगण ने कहा कि वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नही है व प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती कर वादीया व उसके पिता जमना का नाम दर्ज नहीं होने दिया है, वर्तमान में उक्त आराजियात प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है। इस कारण से वादीया को बेदखल करके ही रहेगे व उक्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द करके ही रहेंगे । जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है।

19/2/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

इस पर वादीया ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो वादीया को जानकारी हुई कि वादीया के पिता जमना जी जो कि हजारी जी के जायन्दा पुत्र होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के पिता, श्वसुर, दादा, मांगू व मूला द्वारा राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती कर उक्त आराजियात मांगू व मूला व मोहन के नाम पर दर्ज कर दी व मोहन लाऔलाद फोत होने पर मांगू व मूला के वारीसान के नाम पर दर्ज कर दी, जबकि वादीया व उसके पिता जमना जी जो कि हजारी जी के विधिक वारीस होने से राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी होते हुए भी राजस्व कर्मचारीयो द्वारा लापरवाही पूर्वक नाम दर्ज नही किया है। वादीया राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है।

उक्त आराजियात ही वादीया व उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र जरिया है। उक्त भूमि पर ही वादीया कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करते है।

यदि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 वादीया को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व उक्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगे तो वादीया को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा। इस कारण से वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीया को सरहद औझागर, पटवार हल्का रामपुरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) में भाग- अ खाता संख्या 273 दौ सौ तिहेतर में आराजी नम्बर 796/1 सात सौ छियानवे/एक रकबा 02 दो बीघा, आराजी नम्बर 800/1 आठ सौ/एक रकबा 10 दस बिस्वा, आराजी नम्बर 801 आठ सौ एक रकबा 01 एक बीघा 04 चार बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 आठ सौ दो/एक रकबा 14 चौदह बिस्वा, आराजी नम्बर 803 आठ सौ तीन रकबा 03 तीन बीघा 13 तैरह बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 एक हजार छिडेतर रकबा 01 एक बीघा 12 बारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 एक हजार उनियासी रकबा 01 एक बीघा 11 ग्यारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 एक हजार अस्सी रकबा 04 चार बिस्वा कुल किता 08 आठ रकबा 11 ग्यारह बीघा 08 बिस्वा एवं भाग- ब खाता संख्या 88 अठ्यासी मे आराजी नम्बर 1077 एक हजार सतहतर रकबा 03 तीन बिस्वा कुल किता 01 एक रकबा 03 तीन बिस्वा से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा वादीया के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे।

19/2/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादपत्र की चरण संख्या 02 दो में वर्णित सरहद औझागर पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे भाग- अ खाता संख्या 273 दौ सौ तिहेतर मे आराजी नम्बर 796/1 सात सौ छियानवे/एक रकबा 02 दो बीघा, आराजी नम्बर 800/1 आठ सौ / एक रकबा 10 दस बिस्वा, आराजी नम्बर 801 आठ सौ एक रकबा 01 एक बीघा 04 चार बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 आठ सौ दो/एक रकबा 14 चौदह बिस्वा, आराजी नम्बर 803 आठ सौ तीन रकबा 03 तीन बीघा 13 तैरह बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 एक हजार छिहेतर रकबा 01 एक बीघा 12 बारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 एक हजार उनियासी रकबा 01 एक बीघा 11 ग्यारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 एक हजार अस्सी रकबा 04 चार बिस्वा कुल किता 08 आठ रकबा 11 ग्यारह बीघा 08 बिस्वा एवं भाग- ब खाता संख्या 88 अठ्यासी मे आराजी नम्बर 1077 एक हजार सतहतर रकबा 03 तीन बिस्वा कुल किता 01 एक रकबा 03 तीन बिस्वा वादीया की पैतृक आराजियात है, जिसमे वादीया का जन्म से हक अधिकार निहित है तथा वादपत्र की चरण संख्या 02 दो के भाग अ में वर्णित आराजीयात मे वादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित पारीवारिक सजरे अनुसार वादीया का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 पांच का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा व भाग-ब ने वर्णित आराजियात मे वादीया का 1/6 एक/छह हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/6 एक/छह हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 पांच का 1/6 एक/छह हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 06 छह का 1/2 आधा हक हिस्सा निहित है, वादीया राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती करा, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 छह के साथ अपना नाम दर्ज करवाने व अपना हक हिस्सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है, तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

वादीया को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक 20 बीस जुलाई 2020 दो हजार बीस से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है।

उक्त मामले में प्रतिवादी संख्या 09 नो एवं 10 दस राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है और कानूनन राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा०दी० के तहत 2 माह की समयावधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है और वादीया नोटिस देकर समयावधि व्यतीत होने तक इंतजार करेगा तो इससे पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द कर देगा व वादी को बेदखल कर देंगे तो वादी का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा। ऐसी सूरत मे बिना नोटिस दिये ही वादपत्र पेश है तथा धारा 80 (2) जा०दी० का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है।

19/2/26

सहायक कलक्टर

वादपत्र अन्दर अवधि पेश है। वादपत्र वांछित न्याय शुल्क पर पेश है। वादग्रस्त आराजीयात सरहद औझागर तहसील एवं जिला भीलवाडा की सीमाक्षेत्र में स्थित होने से यह वादपत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रतिवादी संख्या 06 सहखातेदार होने से प्रतिवादी बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 07 एवं 08 के यहां भूमि रहन होने से प्रतिवादी बनाया गया है। वादपत्र नियमानुसार दो प्रतियो में पेश है। वादपत्र की ताईद मे वादी का शपथपत्र पेश है। प्रतिवादीगण को सूचनार्थ सम्मन प्रोसेस नकल वादपत्र साथ मे पेश है।

अतः वादीया सादर प्रार्थना करती है कि :-

(अ) कि वादपत्र की चरण संख्या 02 दो में वर्णित सरहद औझागर पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे भाग- अ खाता संख्या 273 दौ सौ तिहेतर मे आराजी नम्बर 796/1 सात सौ छियानवे/एक रकबा 02 दो बीघा, आराजी नम्बर 800/1 आठ सौ एक रकबा 10 दस बिस्वा, आराजी नम्बर 801 आठ सौ एक रकबा 01 एक बीघा 04 चार बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 आठ सौ दो/एक रकबा 14 चौदह बिस्वा, आराजी नम्बर 803 आठ सौ तीन रकबा 03 तीन बीघा 13 तैरह बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 एक हजार छिहतर रकबा 01 एक बीघा 12 बारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 एक हजार उनियासी रकबा 01 एक बीघा 11 ग्यारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 एक हजार अस्सी रकबा 04 चार बिस्वा कुल किता 08 आठ रकबा 11 ग्यारह बीघा 08 बिस्वा एवं भाग-ब खाता संख्या 88 अठ्यासी मे आराजी नम्बर 1077 एक हजार सतहतर रकबा 03 तीन बिस्वा कुल किता 01 एक रकबा 03 तीन बिस्वा वादीया की पैतृक आराजियात है, जिसमे वादीया का जन्म से हक अधिकार निहित है तथा वादपत्र की चरण संख्या 02 दो के भाग अ मे वर्णित आराजीयात मे वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित पारीवारिक सजरे अनुसार वादीया का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 पाच का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा व भाग-ब में वर्णित आराजियात मे वादीया का 1/6 एक/छह हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/6 एक/छह हक हिस्सा. प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 पांच का 1/6 एक/छह हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 06 छह का 1/2 आधा हक हिस्सा निहित है, वादीया राजस्व रेकार्ड में इन्दाज दुरुस्ती करा, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 छह के साथ अपना नाम दर्ज करवाने व अपना हक हिस्सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है, तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे।

(ब) कि बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण वादीया को सरहद औझागर पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे भाग अ खाता संख्या 273 दौ सौ तिहेतर मे आराजी

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

नम्बर 796/1 सात सौ छियानवे/एक रकबा 02 दो बीघा, आराजी नम्बर 800/1 आठ सौ/एक रकबा 10 दस बिस्वा, आराजी नम्बर 801 आठ सौ एक रकबा 01 एक बीघा 04 चार बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 आठ सौ दो/एक रकबा 14 चौदह बिस्वा, आराजी नम्बर 803 आठ सौ तीन रकबा 03 तीन बीघा 13 तैरह बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 एक हजार छिहतर रकबा 01 एक बीघा 12 बारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 एक हजार उनियासी रकबा 01 एक बीघा 11 ग्यारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 एक हजार अस्सी रकबा 04 चार बिस्वा कुल किता 08 आठ रकबा 11 ग्यारह बीघा 08 बिस्वा एवं भाग- ब खाता संख्या 88 अठ्यासी मे आराजी नम्बर 1077 एक हजार सतहतर रकबा 03 तीन बिस्वा कुल किता 01 एक रकबा 03 तीन बिस्वा से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे और नहीं किसी अन्य से करावे तथा वादीया के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे।

(स) कि हर्जा खर्चा मुकदमा मय महनताना वकील वादीया को प्रतिवादीगण से दिलाया जाये।

(द) कि अन्य जो भी अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीया के पक्ष में दिलाना उचित समझे दिलाया जावे।

वादिया ने अपने वाद पत्र का सत्यापन किया तथा वाद पत्र की ताईद में शपथ पत्र पेश किया एवं प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80(2) सी0पी0सी0 पृथक से प्रस्तुत किया जो पत्रावली पर मौजूद है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2020 को वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये तलबाना करने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 11.12.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री नवरतनमल जोशी ने यु0टी0 दी। दिनांक 10.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री नवरतनमल जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 23.09.2022 को वकील वादी को हिदायत दी गई कि वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो की प्रतियां प्रतिवादी अधिवक्ता को दी जावे। दिनांक 04.10.2024 को वादी अधिवक्ता से प्रतिवादी अधिवक्ता को दस्तावेजो की प्रतियां दिलाई गई। दिनांक 12.11.2024 को प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश नहीं किये जाने से 50/- रूपये की कोस्ट पर एक अवसर दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 20.12.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता श्री नवरतनमल जोशी ने प्रार्थना पवत्र के साथ ''नो-इन्सट्रक्शन प्लीड'' किया। दिनांक 05.03.2025 को वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का जवाब बन्द करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जवाबदावा पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते

19/2/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

जवाब दिनांक 01.04.2025 को पेश होने की आदेशिका संधारित की गई। दिनांक 01.04.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादीगण को जवाबदावा पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये गये परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया, अतः प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का जवाब बन्द करने के आदेश पारित किये गये और पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते साक्ष्य वादी में नियत की गई।

वादिया की ओर से **मौखिक साक्ष्य में** वादिया श्रीमती सन्तोष पुत्री स्व0 श्री जमनालाल कुमावत पत्नि श्री रूपलाल कुमावत का शपथ पत्र बतौर साक्षी प्रस्तुत कर उक्त गवाह को परीक्षित करवाया गया परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से जिरह हेतु कोई उपस्थित नहीं होने के कारण जिरह बन्दी की गई। वादिया की ओर से **दस्तावेजी साक्ष्य में** निम्नलिखित दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये-

प्रदर्श-1 जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 राजस्व ग्राम औझागर खाता संख्या नया 273 पुराना 179 की प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रदर्श-2 जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 राजस्व ग्राम औझागर खाता संख्या नया 88 पुराना 73 की प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रदर्श-3 नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रदर्श-4 मृत्यु प्रमाण पत्र जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 4ए के रूप में प्रदर्शित करवाई गई।

प्रदर्श-5 नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रदर्श-6 जमाबन्दी संवत् 2033 की प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रदर्श-7 आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 7ए के रूप में प्रदर्शित करवाई गई।

वादिया की ओर से अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार करने पर दिनांक 01.07.2025 को साक्ष्य वादी बन्द की गई और पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते अन्तिम बहस हेतु नियत की गई।

विद्धान अभिभाषक वादिया की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक वादिया ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्यो एवं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वादिया का वाद बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाने की कृपा करे।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादिया के वाद पत्र को निर्णीत करने हेतु निम्नलिखित विवाद्यक/बिन्दुओ पर विचार किया जाना आवश्यक है-

1. आया वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित राजस्व ग्राम ओझागर, पटवार हल्का रामपुरिया, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र गुरला, तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी **भाग-अ खाता संख्या 273** की आराजी नम्बर 796/1 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 800/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 801 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 803 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 रकबा 1

10/2/26
सहायक कलक्टर

बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा तथा **भाग-ब खाता संख्या 88** की आराजी नम्बर 1077 रकबा 3 बिस्वा वादिया की पैतृक आराजीयात है, जिसमें वादिया का जन्म से हक अधिकार निहित है ?

2. आया वाद पत्र की चरण संख्या 2 के **भाग-अ** में वर्णित आराजीयात में वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पारिवारिक सजरे अनुसार वादिया का 1/3 हक-हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/3 हक-हिस्सा तथा **भाग-ब** में वर्णित आराजीयात में वादिया का 1/6 हक-हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/6 व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 हक-हिस्सा निहित है ?
3. आया प्रतिवादीगण को वादिया वांछित स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारिणी है ?

विवाद्यक/बिन्दु संख्या-1 इस बिन्दु के सम्बन्ध में वादिया ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 1 में हजारी पुत्र मेघा कुमावत का सजरा खानदान दर्ज करते हुए हजारी के चार पुत्र क्रमंशः मांगू, जमना, मूला व मोहन उत्पन्न होना दर्शित किया है और वादिया ने अपने आपको मूला पुत्र हजारी की पुत्री होना दर्शित किया है अर्थात् हजारी पुत्र मेघा को अपना दादा होना दर्शित किया गया है और अपनी साक्ष्य के शपथ पत्र में भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यो की ताईद की है और इसी सजरा खानदान के आधार पर विवादित भूमि को वादिया की पैतृक आराजीयात होने का कथन किया तथा इसी आधार पर विवादित भूमि में वादिया का जन्म से हक व अधिकार निहित होने का कथन किया है। वादिया ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 4ए मृत्यु प्रमाण पत्र को प्रदर्शित करवाया है जिसमें मृतक का नाम जमनालाल कुमावत पिता का नाम हजारीलाल कुमावत माता का नाम दाखी देवी मृत्यु की दिनांक 31.10.1984 दर्ज है तथा प्रदर्श-7ए आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड को प्रदर्शित करवाया है जिसमें सन्तोष कुमावत के पिता नाम जमनालाल कुमावत दर्ज है।

पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श 5 नामान्तरकरण विरासत के आधार पर स्वीकृत हुआ है जिसमें दर्ज प्रविष्टियो से हजारी पुत्र मेघा की विरासत मांगू, मोहन, मूला पिसरान हजारी के नाम दर्ज हुई है जिसमें जमना पुत्र हजारी दर्ज नहीं है। इसी प्रकार प्रदर्श-6 जमाबन्दी संवत् 2033 में भी हजारी के बजाय मांगू, मोहन मूला पुत्रान् हजारी के नाम से विरास्त का नामान्तरकरण दर्ज होने की प्रविष्ट दर्ज है। कानूनन विरासत का नामान्तरकरण मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के सभी वारिसान के नाम से स्वीकृत होना चाहिये था और सभी वारिसान के नाम से विरासत के आधार पर खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज होनी चाहिये थी। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिसके आधार पर जमना को हजारी का पुत्र/वारिस नहीं माना जा सके। विवादित भूमि में मांगू, मूला, मोहन पुत्रान हजारी के साथ-साथ जमना पुत्र हजारी का भी बराबर-बराबर हक, हिस्सा व अधिकार कानूनी रूप से बनता है तथा जमना पुत्र हजारी का देहान्त हो जाने पर उसके हिस्से की विरासत की खातेदारी वादिया के नाम से

सहायक कलक्टर,
भीलवाड़ा

दर्ज होनी चाहिये थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित भूमि में वादिया का जन्म से पुश्तैनी व पैतृक विरासत के अधिकार निहित है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 1 वादिया के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक/बिन्दु संख्या-2 वादिया बिन्दु संख्या 1 को साबित करने में पूर्णतया सफल रही है ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को वादिया की पैतृक व पुश्तैनी आराजी साबित है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 के **भाग-अ** में वर्णित आराजीयात में वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पारिवारिक सजरे अनुसार वादिया का 1/3 हक-हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/3 हक-हिस्सा तथा **भाग-ब** में वर्णित आराजीयात में वादिया का 1/6 हक-हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/6 व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 हक-हिस्सा निहित है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 2 भी वादिया के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक/बिन्दु संख्या 3 वादिया का विवादित भूमि में पुश्तैनी व पैतृक विरासत के हक-हिस्सा व अधिकार निहित होना साबित है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को वादिया वांछित स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारिणी है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 3 भी वादिया के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर विवाद्यक/बिन्दु संख्या 1,2 व 3 वादिया के पक्ष में निर्णीत हुए है। वादिया अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को साबित करने में पूर्णतया सफल रही है। ऐसी स्थिति में वादिया का दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण, स्वीकार किया जाकर बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा है।

अतएव वादिया का दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है-

(अ) घोषणात्मक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादपत्र की चरण संख्या 02 दो में वर्णित सरहद औझागर पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे भाग- अ खाता संख्या 273 दौ सौ तिहेतर मे आराजी नम्बर 796/1 सात सौ छियानवे/एक रकबा 02 दो बीघा, आराजी नम्बर 800/1 आठ सौ एक रकबा 10 दस बिस्वा, आराजी नम्बर 801 आठ सौ एक रकबा 01 एक बीघा 04 चार बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 आठ सौ दो/एक रकबा 14 चौदह बिस्वा, आराजी नम्बर 803 आठ सौ तीन रकबा 03 तीन बीघा 13 तैरह बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 एक हजार छिहतर रकबा 01 एक बीघा 12 बारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 एक हजार उनियासी रकबा 01 एक बीघा 11 ग्यारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 एक हजार अस्सी रकबा 04 चार बिस्वा कुल किता 08 आठ रकबा 11 ग्यारह बीघा 08 बिस्वा एवं भाग-ब खाता संख्या 88 अठ्यासी मे आराजी नम्बर 1077 एक हजार सतहतर रकबा 03 तीन बिस्वा कुल किता 01 एक रकबा 03 तीन बिस्वा वादीया की पैतृक आराजियात है, जिसमे वादीया का जन्म से हक अधिकार निहित है तथा वादपत्र की चरण संख्या 02 दो के भाग अ मे वर्णित आराजीयात मे वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित पारीवारिक सजरे अनुसार वादीया का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा, प्रतिवादी

18/2/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

संख्या 01 एक का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 पाच का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा व भाग-ब में वर्णित आराजियात मे वादीया का 1/6 एक/छह हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/6 एक/छह हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 पांच का 1/6 एक/छह हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 06 छह का 1/2 आधा हक हिस्सा निहित है, वादीया राजस्व रेकार्ड में इन्दाज दुरुस्ती करा, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 छह के साथ अपना नाम दर्ज करवाने व अपना हक हिस्सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने की अधिकारी है तदनुसार वादिया को उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ब) वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीया को सरहद औझागर पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे भाग अ खाता संख्या 273 दौ सौ तिहेतर मे आराजी नम्बर 796/1 सात सौ छियानवे/एक रकबा 02 दो बीघा, आराजी नम्बर 800/1 आठ सौ/एक रकबा 10 दस बिस्वा, आराजी नम्बर 801 आठ सौ एक रकबा 01 एक बीघा 04 चार बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 आठ सौ दो/एक रकबा 14 चौदह बिस्वा, आराजी नम्बर 803 आठ सौ तीन रकबा 03 तीन बीघा 13 तैरह बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 एक हजार छिहतर रकबा 01 एक बीघा 12 बारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 एक हजार उनियासी रकबा 01 एक बीघा 11 ग्यारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 एक हजार अस्सी रकबा 04 चार बिस्वा कुल किता 08 आठ रकबा 11 ग्यारह बीघा 08 बिस्वा एवं भाग- ब खाता संख्या 88 अठ्यासी मे आराजी नम्बर 1077 एक हजार सतहतर रकबा 03 तीन बिस्वा कुल किता 01 एक रकबा 03 तीन बिस्वा से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे और नहीं किसी अन्य से करावे तथा वादीया के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे।

निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु तहसीलदार, भीलवाड़ा को निर्णय व डिक्री की प्रति के साथ तहरीर जारी हो।

पक्षकारान् खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/2/26 को सरे इजलास में सुनाया गया।

19/2/26
अरुण कुमार जैन
सहायक कलक्टर
आर.ए.एस.
भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्याः- 38/2020
जीसीएमएस नम्बर :-2020/00073

श्रीमती सन्तोष पुत्री स्व० श्री जमना लाल कुमावत, पत्नी श्री रूप लाल कुमावत, आयु वयस्क, निवासी- औझाघर, हाल 100 फीट रोड, कृष्णा प्रोपर्टी के पीछे, गली नम्बर 03, प्लॉट नम्बर 90, भीलवाडा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

--वादिया

-: बनाम :-

1. श्रीमती सुखी पुत्री स्व० श्री मूला कुमावत, पत्नी श्री रामलाल कुमावत, जाति कुमावत, आयु वयस्क, निवासी कारोईखेडा, तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
2. श्रीमती रामू पत्नी स्व० श्री मांगू कुमावत, आयु वयस्क, निवासी- लापिया खेडा, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. श्रीमती शंकरी पत्नी स्व० श्री नारायण कुमावत, आयु वयस्क, निवासी-लापिया खेड़ा, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. प्रकाश पुत्र स्व० श्री नारायण कुमावत, आयु नाबालिग, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शंकरी पत्नी स्व० श्री नारायण कुमावत, आयु वयस्क, निवासी-लापिया खेड़ा, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
5. माया पुत्री स्व० श्री नारायण कुमावत, आयु नाबालिग, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शंकरी पत्नी स्व० श्री नारायण कुमावत, आयु वयस्क, निवासी-लापिया खेड़ा, ग्राम पचायत रामपुरिया, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. नाधू पुत्र श्री रामा कुमावत आयु वयस्क निवासी लापिया खेड़ा ग्राम पंचायत रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाडा, शाखा सुवाणा, तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) जरिये शाखा प्रबंधक
8. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा कारोई कलॉ, तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)
10. उप-पजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाडा (राज०)

---प्रतिवादीगण

13/2/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादपत्र बाबत् घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ------- मिनजानिब मुद्धई रूबरू -------------- मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

निर्णय में वर्णितानुसार विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादिया का दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है-

(अ) घोषणात्मक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादपत्र की चरण संख्या 02 दो में वर्णित सरहद औझागर पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे भाग- अ खाता संख्या 273 दौ सौ तिहेतर मे आराजी नम्बर 796/1 सात सौ छियानवे/एक रकबा 02 दो बीघा, आराजी नम्बर 800/1 आठ सौ एक रकबा 10 दस बिस्वा, आराजी नम्बर 801 आठ सौ एक रकबा 01 एक बीघा 04 चार बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 आठ सौ दो/एक रकबा 14 चौदह बिस्वा, आराजी नम्बर 803 आठ सौ तीन रकबा 03 तीन बीघा 13 तैरह बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 एक हजार छिहतर रकबा 01 एक बीघा 12 बारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 एक हजार उनियासी रकबा 01 एक बीघा 11 ग्यारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 एक हजार अस्सी रकबा 04 चार बिस्वा कुल किता 08 आठ रकबा 11 ग्यारह बीघा 08 बिस्वा एवं भाग-ब खाता संख्या 88 अठ्यासी मे आराजी नम्बर 1077 एक हजार सतहतर रकबा 03 तीन बिस्वा कुल किता 01 एक रकबा 03 तीन बिस्वा वादीया की पैतृक आराजियात है, जिसमे वादीया का जन्म से हक अधिकार निहित है तथा वादपत्र की चरण संख्या 02 दो के भाग अ मे वर्णित आराजीयात मे वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित पारीवारिक सजरे अनुसार वादीया का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 पाच का 1/3 एक/तीन हक हिस्सा व भाग-ब में वर्णित आराजियात मे वादीया का 1/6 एक/छह हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/6 एक/छह हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 पांच का 1/6 एक/छह हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 06 छह का 1/2 आधा हक हिस्सा निहित है, वादीया राजस्व रेकार्ड में इन्दाज दुरुस्ती करा, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 छह के साथ अपना नाम दर्ज करवाने व अपना हक हिस्सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने की अधिकारी है तदनुसार वादिया को उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

19/2/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

(ब) वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीया को सरहद औझागर पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे भाग अ खाता संख्या 273 दौ सौ तिहेतर मे आराजी नम्बर 796/1 सात सौ छियानवे/एक रकबा 02 दो बीघा, आराजी नम्बर 800/1 आठ सौ/एक रकबा 10 दस बिस्वा, आराजी नम्बर 801 आठ सौ एक रकबा 01 एक बीघा 04 चार बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 आठ सौ दो/एक रकबा 14 चौदह बिस्वा, आराजी नम्बर 803 आठ सौ तीन रकबा 03 तीन बीघा 13 तैरह बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 एक हजार छिहतर रकबा 01 एक बीघा 12 बारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 एक हजार उनियासी रकबा 01 एक बीघा 11 ग्यारह बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 एक हजार अस्सी रकबा 04 चार बिस्वा कुल किता 08 आठ रकबा 11 ग्यारह बीघा 08 बिस्वा एवं भाग- ब खाता संख्या 88 अठ्यासी मे आराजी नम्बर 1077 एक हजार सतहतर रकबा 03 तीन बिस्वा कुल किता 01 एक रकबा 03 तीन बिस्वा से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे और नहीं किसी अन्य से करावे तथा वादीया के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे।

निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु तहसीलदार, भीलवाड़ा को निर्णय व डिक्री की प्रति के साथ तहरीर जारी हो।

पक्षकारान् खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करे।

निज------- मुबलिग--------- बाबत् ------- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह-------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ------------ को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 19/2/26 को जारी की गई।

दस्तखत 19/2/26

मुहर

ओहदा

अरुण कुमार जैन सहायक कलक्टर
आर.ए.एस. भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

	रुपया	पैसे
मुद्दई		
स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		

मुद्दायलह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		

फीस कमिशनर बाबत् इजराय		
हुक्मनामा		
मुतफरिक		
मीजान		

फीस कमिशनर बाबत् इजराय		
हुक्मनामा		
मुतफरिक		
मीजान		

मुहर

दस्तखत 19/2/26

अरूण कुमार जैन सहायक कलक्टर
आर.ए.एस. भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा